सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का कियान्वयन

विभाग का नाम उप संचालक मत्स्योद्योग सिवनी

संदर्भः— म0प्र0 शासन,सामान्य प्रशासन विभाग मत्रांलय का पत्र क्र0एफ—11—9 / 05 / 1 / 9 दिनांक 19 / 7 / 05

संदर्भित पत्र के तहत अधिनियम के प्रावधान यथा 4(1),5(1),5(2),के संबंध में मत्स्य पालन विभाग कि कंडिका वार जानकारी निम्नानुसार है एंव इस आधार पर प्रकाशन / संधारण विभाग द्वारा किया जावेगा।

1 :— (अ) अभिलखो का सम्यक रूप सें सूची / सारणी / तालिका बद्व करने हेतु इस कार्यालय की विभिन्न शाखाये यथा तकनीकी / लेखा / स्थापना / भंडार / के प्रभारियो को यथाचित मार्गदर्शन दिया जाना एंव तदनुसार सभी शाखाओ द्वारा अभिलेखो का संधारण करना। साथ ही अभिलेखो को कप्यूटरीकृत करना।

(ब) मछली पालन विभाग का मुख्य कार्य ग्रामीण / सिचाई जलाशयो को नियमानुसार अभिलेखो सहित प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना एंव पट्टा आदेश अनुमति देना। पट्टा धारियो को ऋण प्रकरण बैंक के माध्यम से स्वीकृत कराना एंव नियमानुसार अनुदान देना सहकारी समिति का नियमानुसार ऋण एंव अनुदान सुलभ कराना अनुसूचित जन जाति / जाति मत्स्य पालको को मछली पालन हेतु नियमानुसार अनुदान देंना मत्स्य पालको को प्रशिक्षण देना एंव प्रदेश के बाहर शिक्षण एंव प्रशिक्षण हेतु भ्रमण कराना एंव कृषको को अच्छे किस्म के मत्स्य बीज शासकीय दर पर उपलब्ध कराना,कृषको को स्वंय की भूमि पर मछली पालन हेतु तालाब निर्माण के प्रकरण तैयार करना एंव नियमानुसार व्यय किये गये रकम के विपक्ष में अनुदान उपलब्ध कराना।

2 :— मछली पालन विभाग के अतर्गत जिले मे उप संचालक मत्स्योद्योग की पदस्थापना है एंव इनके नियंत्रण में स्थित विकास खण्डो में सहायक मत्स्य अधिकारी / मत्स्य निरीक्षक एंव मत्स्य बीज प्रक्षेत्र में सहायक मत्स्य अधिकारी / मत्स्य निरीक्षक श्रेणी के कर्मचारी है मत्स्य निरीक्षक विकास खण्ड स्तर पर ग्राम सभा में पारित प्रस्ताव के आधार पर तालाब पट्टा के प्रकरण, मत्स्य कृषकों का ऋण प्रकरण, निजी मत्स्य पालकों को अनुदान सम्बन्धी कागजात पूर्ण कराना सहकारी समिति के ऋण एवं अनुदान प्रकरण तैयार आदि मुख्य कार्य है एवं इनके द्वारा तैयार किये गये सभी प्रकरण कार्यालय उप संचालक मत्स्योघोग को प्रस्तुत किया जाता है, जहां पर प्रकरणों को परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही उप संचालक मत्स्योघोग द्वारा किया जाता है ।

3 :— विकासखण्ड स्तर पर पदस्थ सहायक मत्स्य अधिकारी / मत्स्य निरीक्षक द्वारा तैयार किये गये प्रकरणों की जांच कर जिला मुख्यालय को भेजना तदानुसार उप संचालक मत्स्योघोग द्वारा अनुदान प्रकरणों को जिला पंचायत की कृषि स्थाई समिति में अनुमोदन पश्चात सम्बन्धित को अनुदान प्रदान करना एवं तालाब पट्टा प्रकरणों में प्राधिकृत अधिकारी के अनुसार अनुमोदन पश्चात अनुमति प्रदान करना ।

4 :— उप संचालक मत्स्योघोग को संचालनालय मत्स्योघोग भोपाल द्वारा लक्ष्य प्रदाय किये जाते है, जिसकी पूर्ति उप संचालक मत्स्योघोग एंव क्षेत्रीय अमलों द्वारा कराई जाती है ।

5 :— जिला प्रमुख के नियंत्रण में क्षेत्रीय अमलों को शासन द्वारा निर्णय लिये गये नियमों की जानकारी देना, तदानुसार क्षेत्रीय अमलों द्वारा पालन कराना ।

6 :— जिले में उप संचालक मत्स्योघोग के अधीन दस्तावेजों की श्रेणीवार कार्य संघारित किया जाना ।

7 :— नीति के सूत्रीकरण / प्रतिपादन, कियान्वयन हेतु जिला पंचायत की कृषि स्थाई समिति सदस्यों को बैठक में अवगत कराना एवं आवश्यकतानुसार परामर्श लेते हुये अनुमोदन लेना ।

8 :— इस कार्यालय से सम्बन्धित नहीं है ।

9 :— विभाग के अधिकारी एवं नियंत्रण में कार्यरत कर्मचारी की डायरेक्टरी स्थापित करना व प्रकाशन करना ।

10 :— मासिक पारिश्रमिक में कार्यरत कर्मचारियों की सूची का प्रकाशन करना ।

11 :– विभाग को प्राप्त समस्त योजनाओं का बजट एवं प्रस्तावित खर्चो की जानकारी, जो जिला योजना से अनुमोदन की गई हो, का प्रकाशन करना ।

12 :– अनुदान हेतु पात्र उम्मीदवार की आवश्यक आवश्यकताओं (अर्हताओं)को प्रकाशना करना ।

13 :– सम्बन्धित नहीं ।

14 :– नागरिकों को सूचना प्रदान करने के लिये जिले के कार्यालय में अधीन कार्यरत कर्मचारी को नामांकित किया जाना एवं प्रकाशन किया जाना ।

15 :– लोक सूचना के अधिकारी हेतु जिला स्तर पर उप संचालक मत्स्योघोग एवं सहायक के रूप में कर्मचारी को नामांकित करना एवं विकासखण्ड स्तर पर पदस्थ मत्स्य निरीक्षक का नाम प्रकाशित करना एवं मत्स्य बीज प्रक्षेत्रों में पदस्थ अमला का नाम प्रकाशन कराना ।

5(1) लोक सूचना अधिकारियों हेतु जिला स्तर पर उप संचालक एवं सहायक का नाम, विकासखण्ड पर मत्स्य निरीक्षक का नाम एवं प्रक्षेत्रों पर सहायक मत्स्य अधिकारी/मत्स्य निरीक्षक के नाम का प्रकाशन किया जाना ।

16. **लोक सूचना अधिकारी एंव सहायक लोक सूचना अधिकारी का विवरण निम्नानुसार हैः–**

विभाग का नाम	जिले का नाम	कार्यालय का नाम एंव पता	लोकसूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी का विवरण	संबंधित अपीलीय प्राधिकारी का विवरण
मछुआ कल्याण एंव मत्स्य विकास विभाग	सिवनी	कार्यालय उप संचालक मत्स्योद्योग सिवनी कलेक्ट्रेड केम्पस सिवनी	लोकसूचना अधिकारी 1.श्री के.एल मरावी उप संचालक मत्स्योद्योग मोबाईल न0ः–9407402280 सहायक लोकसूचना अधिकारी 2. श्रीमती संध्या कुमार सहायक मत्स्य अधिकारी मोबाईल न0ः–9340240603	1.मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सिवनी

17 नागरिक को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी प्राप्त करने के हेतु आवश्यक जानकारी जैसे नियमानुसार आवेदन पत्र प्रस्तुत करने,अभिलेख प्राप्त करने तथा शुल्क आदि जमा करने की प्रकिया के संबंध में जानकारी का प्रावधान किया गया है।

मत्स्य बीज प्रक्षेत्रो की जानकारीः–

(1) मत्स्य बीज उत्पादन/वितरण प्रक्षेत्र केन्द्र जेवनारा
प्रभारी अधिकारी का नाम श्री व्ही0के0 मेश्राम मत्स्य निरीक्षक
मोबाईल न0ः– 9340269080

(2) मत्स्य बीज वितरण केन्द्र लखनादौन
प्रभारी अधिकारी का नाम श्री एस0एस0 मरकाम सहायक मत्स्य अधिकारी
मोबाईल न0ः– 9406728801

उप संचालक मत्स्योद्योग
सिवनी